हरियाणा सरकार

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 मई, 2006

संख्या का० आ० 50/ह० अ० 15/1979/धा० 4, 5, 6 तथा 16/2006.—हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (सेवा-सुरक्षा) अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम 15), की धारा 4, 5, 6 तथा धारा 16 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (पेंशन तथा अंशदान भविष्य-निधि) नियम, 1999, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (पेंशन तथा अंशदान भविष्य-निधि) संशोधन नियम, 2006, कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (पेंशन तथा अंशदान भविष्य-निधि) नियम, 1999, में, नियम 6 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6क महंगाई भत्ता धारा 6 तथा 16 (1) (2).—पेंशनरों को भुगतान योग्य महंगाई भत्ते की दर सरकार के कर्मचारियों के सममूल्य पर होगी तथा ऐसी होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अनुज्ञात की जाए।"।

आर० एस० गुजराल,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

शिक्षा विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 11th May, 2006

No. S.O. 50/H.A. 15/1979/Ss. 4, 5, 6 and 16/2006.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 16 and sections 4, 5 and 6 of the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Act, 1979 (Act 15 of 1979), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Affiliated Colleges (Pension and Contributory Provident Fund) Rules, 1999, namely :—

1. (1) These rules may be called the Haryana Affiliated Colleges (Pension and Contributory Provident Fund) Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Affiliated Colleges (Pension and Contributory Provident Fund) Rules, 1999, after rule 6, the following rule shall be inserted, namely :—

> **"6A. Dearness Allowance. sections 6 and 16 (1) (2).**— The rate of dearness allowance payable to the pensioners shall be at par with the employees of Government and shall be such as may be allowed by the Government from time to time.".

R. S. GUJRAL,

Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government Haryana,
Education Department.